

73

निगरानी 684-III-15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)



Rs. 20/-

1. रामसखा पिता बरमदीन,
 2. सुशील कुमार पिता रामसखा
 3. रामजी पिता रामसखा
 4. श्यामजी पिता रामसखा
- सभी निवासी ग्राम-इटौरा, तहसील-जवा, जिला-रीवा (म0प्र0)

— निगरानीकर्तागण / आवेदकगण

बनाम्

किशोरीलाल पिता शत्रुघ्न प्रसाद, निवासी ग्राम-इटौरा, तहसील-जवा, जिला-रीवा (म0प्र0)

— गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील-जवा प्रकरण क्र. 1/अ-2/91-92 आदेश दिनांक 17.05.2013 व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील-त्योंधर, जिला-रीवा (म0प्र0) प्रकरण क्र. 162/अ-3/अपील/12-13 आदेश दिनांक 30.01.2015 जिनके द्वारा गलत नक्शा तरमीम का आदेश पारित कर क्षेत्राधिकार के बाहर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि की गयी है, निम्नलिखित आधार पर दायर की जाती है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज दिनांक 2-3-15 के फैसले किया गया।

सिडर
सर्किट कोर्ट रीवा

4787

क्रमांक 17/15
रजिस्ट्रार द्वारा आज को प्राप्त

सर्किट कोर्ट
रजिस्ट्रार मण्डल राजस्व

Handwritten signatures and initials.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

Handwritten signature.

63
2.3.15

13
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R. 684-115 जिला..... रीवा

..... राम सरवा व अन्य विरुद्ध किशोरीलाल

1	2	3
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री... सुयामा प्रताप तिवारी... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील... पोथर... के प्रकरण क्रमांक... 162/अ. 3/अपील/12-13... में पारित आदेश दिनांक... 30-1-15... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। M0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर... रीवा... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक... 6-3-19... को कलेक्टर... रीवा... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	